न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 125/2025(GCMS 2025/486)

(RTI No. 212288540381537)

श्री अमित कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी गांव लार्थ, पो.ऑ. धासोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176021 (मोबाईल नम्बर 98828–21215)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर**

20.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अमित कुमार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अमित कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुअें की सूचना चाही थी :

> Sir Kindly provide the information about land allotted in srivijaynagar at chak No. 10 BLM(A) Khata Number 88 and Murarabba No. 198/419 and 199/417
> 1. Weather the cultivator got any khatedari Right in past
> 2. How did the farmer get possession of this land and if the department has the original file then please provide a copy of it,

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपील का जवाब अपने पत्रांक 959 दिनांक 14.01.2026 के साथ अपीलार्थी को दिये गये जवाब क प्रति भिजवाई गई है, जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2025/822 दिनांक 20.05.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाही गई है। [illegible] सूचना [illegible] निम्न प्रकार से है:
> 1. चक 10 बीएलएम''ए'' के खाता संख्या 88 [illegible] 198/419, 199/417 में खातेदारी अधिकार नहीं दिया गया [illegible]
> 2. आवंटन अधिकारी के आदेश क्रमांक प.2/पो.बा./[illegible]0/956 दिनांक 30.04.1990 के अधार पर आवंटी का कब्जा दिया गया है। आवंटन की मूल पत्रावली आवंटन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 25/2025
(GCMS No. 2025/486)
(RTI No. 212288540381537)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीविजयनगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयानगर ने** अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब रिकॉर्ड दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर